2014

High Court, Appellate Side, Calcutta

No. 5464 A   The 28th November, 2014

From:
Shri Debi Prosad Dey,
Registrar (Judicial Service)

To
1) The District Judge of all the Districts
Including Andaman & Nicobar Islands,
2) The Chief Judge, City Civil Court, Calcutta,
3) The Chief Judge, City Session Court, Calcutta,
4) Judge, Presidency Small Causes Court, Calcutta,
5) The Secretary, Govt. of West Bengal, Judicial Department,
6) Members of the Registry, The Hon'ble High Court.

SUBJECT: Filling up of the Post of Presiding Officer in CGIT-Cum-Labour Court seated at Nagpur, Mumbai-II, Bengaluru & Ernakulam, on Deputation basis.

Sir,

With reference to the above subject, I am directed to inform that Circular being No. A-11016/02/2014-CLS-11 dated 05.11 2014 as received from Labour and Employment Ministry, New Delhi, Govt. of India has been uploaded in the website of the Hon'ble court for information of all the Judicial Officer fulfilling the requisite eligibility criteria for the Post of Presiding Officer in CGIT-Cum-Labour Court seated at Nagpur, Mumbai-II, Bengaluru & Ernakulam, on Deputation basis.

In doing so, I am to request you to take a note of the above and intimate the eligible officers of your Judgeship to visit the website and download the contents and to forward the filled in application of the willing officers so as to reach this court by 10.12.2014 positively.

Yours faithfully,

Debi Prosad Dey
Registrar (Judicial Service)

(24)

सं. ए-11016/ 02 / 2014-सीएलएस-11

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

******

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 2014

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
सभी उच्च न्यायालय

विषयः सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, मुम्बई-II, बंगलुरु एवं एर्णाकुलम में पीठासीन अधिकारी के पदों को भरना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर, मुम्बई-II, बंगलुरु एवं एर्णाकुलम में पीठासीन अधिकारी के पदों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 एवं 7ए में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार जल्द ही भरा जाना है। इन प्रावधानों के अनुसार इन पदों को किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा नियोजित किया जा सकता है, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम तीन वर्षों की सेवा प्रदान की हो। एक सेवारत न्यायाधीश को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7सी के प्रावधानों के अनुसार, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा जारी रख सकता है।

2. सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के पद से जुड़े वेतनमान निम्नानुसार हैं:

(i) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) - रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070/–

(ii) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290/-

(iii) जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान)- रु.70,290-1540-76,450/-.

3. अतएव, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों के नामों के पैनल, जो उपरोक्त उल्लिखित पदस्थापना के स्थानों में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के

AR-I.

15.11.14

SB 17/11/14

इच्छुक हैं और नियुक्ति की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, को उपयुक्त अधिकारी के चयन के लिए इस मंत्रालय को इस पत्र के जारी होने के दो माह के भीतर प्रेषित किए जा सकते हैं। अधिकारियों का जीवनवृत्त संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारियों के नामांकन को पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के सार के साथ संलग्न प्रपत्र में विधिवत प्रमाणित करते हुए एसीआर डोजियर तथा सतर्कता मंजूरी के साथ जल्द से जल्द संभव तिथि में अग्रेषित किए जाएं।

4. अतः अनुरोध है कि इस परिपत्र को न्यायालय के सूचना-पट्ट में प्रदर्शित करने के साथ साथ इसका व्यापक प्रचार किया जाए जिससे कि इस पद के लिए आवेदन करने उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त हो।

भवदीय

संलग्नः(i) प्रोफॉर्मा (फॉर्म निदर्शन-पत्र)
(ii) नियम व शर्तों की प्रतियां

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः

1. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि मामले विभाग, जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस मंत्रालय को ऐसे पात्र न्यायिक अधिकारियों के नामों का पैनल भेज सकते हैं, जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों।
2. सभी क्षेत्रीय श्रम न्यायालय (सी) को इस अनुरोध के साथ कि वे मामले को संबद्ध उच्च न्यायालय में रखें जहां वे कार्य कर रहे हैं जिससे कि संबंधित उच्च न्यायालयों पैनल की प्राप्ति को गति दी जा सके।

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>केन्द्र सरकार के औद्योगिकी प्राधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम व शर्तें</u>

(क) "पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, 65 वर्ष की आयु तक के लिए पद धारण करेगा।"

(ख) वेतनमानः वेतन को वेतनमान निम्न में निर्धारित किया जाएगा-

(i) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) - रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070

(ii) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) - रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290

(iii) जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान) - रु. 70,290-1540-76,450

प्रति माह सकल पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन, यदि कोई हो, को मिलाकर।

(ग) **मंहगाई भत्ताः** अधिकारी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु समय-समय पर मान्य नियमों के अनुसार इस शर्त के साथ मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा कि विधि मंत्रालय के पत्र संख्या 66/2/78-न्यायिक, दिनांक 4 अगस्त, 1978 में यथानिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार फिर से रोजगार की अवधि के दौरान पेंशन की राहत को वेतन से कटौती की जा सकती है।

(घ) **सीसीए/एचआरए/चिकित्सा छूट/परिवहन भत्ताः** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु मान्य नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(ङ) **अवकाशः** फिर से रोजगार की अवधि के दौरान, अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली), 1972 से अभिशासित होगा।

(च) **रिहायशी आवासः** केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार वे रिहायशी आवास के हकदार होंगे।

(छ) पुनर्नियोजन की अवधि केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगा।

(ज) रोजगार को किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा।

(झ) सीसीएस (पुनःनियोजित पेंशनरों के वेतन नियतन) आदेश, 1986 के पैरा 12 मे निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, अधिकारी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के लिए हकदार होगा;

(ञ) सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि से संबंधित अधिक भुगतान की कोई भी राशि अथवा ऐसी राशि जिसे उसके शासकीय सेवा में नहीं रहने के कारण बट्टे-खाते में डाल दिया गया हो, को फिर से रोजगार की अवधि के दौरान उसके वेतन तथा भत्तों को समायोजित करते हुए वसूल किया जा सकेगा {सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 की धारा 73 के क्रम में भारत सरकार का आदेश (5)(2) के अनुसार}।

अनुलग्नक -II

<u>केन्द्र सरकार के औद्योगिकी प्राधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने हेतु सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए नियम व शर्तें</u>

(क) सेवारत न्यायिक अधिकारी भारत सरकार के आदेश (डीओपीटी) संख्या 6/8/2009 -स्थापना (भुगतान-II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ख) वेतनमानः वेतन को वेतनमान निम्न में निर्धारित किया जाएगा-

(i) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) - रु. 51,550-1230-58,930-1380-63,070

(ii) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) - रु. 57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290

(iii) जिला न्यायाधीश (उत्कृष्ट समय वेतनमान) - रु. 70, 290-1540-76,450 प्रति माह

अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि सामान्य नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति के पद पर रहने के दौरान अपना वेतन नियतन कर सके या समय-समय पर संशोधित नियमों व शर्तों के अधीन अपने मूल विभाग में आहरित वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति स्थान का भत्ता आहरित कर सके।

(ग) **मंहगाई भत्ताः** अधिकारी, मूल विभाग में मान्य नियमों के अनुरूप अथवा नियोजनकर्ता सरकार के अधीन नियमों के अनुरूप मंहगाई भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि वह यदि अपने मूल विभाग के वेतनमान को बनाए रखता अथवा पद से संबंधित नियोजनकर्ता सरकार के वेतनमान के अंतर्गत वेतन का आहरण करता है।

(घ) **सीसीए/एचआरए/चिकित्सा छूट/परिवहन भत्ताः** प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान यात्रा हेतु/कार्यग्रहण अवधि वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता को नियोजनकर्ता सरकार के नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(ङ) **अवकाश पेंशनः** प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान अस्थायी स्थानांतरण पर, ऐसे स्थानांतरण होने के पूर्व तक अधिकारी अपने मूल नियोक्ता द्वारा अनुमन्य अवकाश एवं पेंशन नियमों से अभिशासित होना जारी रखेगा, पर केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि के दौरान वह किसी भी अवकाश छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

(च) **रिहायशी आवासः** प्रतिनियुक्ति के दौरान वह नियोजनकर्ता सरकार के नियमों के अनुसार रिहायशी आवास का हकदार होगा।

(छ) प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के अधीन पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी और केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी द्वारा पद के प्रभार को छोड़ने की तिथि को समाप्त होगा।

<u>प्रोफॉर्मा</u>

1. पूरा नाम :

2. जन्म तिथि :

3. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग :

4. शैक्षिक योग्यता :

5. संक्षिप्त में की गई प्रत्येक नियुक्ति की तिथि के साथ सेवा का विवरण
(कालानुक्रमिक क्रम में)
(नोट: श्रम मामलों से संबंधित अनुभव: विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है)

6. पूर्व पद :

7. पूर्व पद से जुड़ा वेतनमान :

8. अंतिम प्राप्त वेतन :

9. पूर्व तीन वर्षों के दौरान अधिकारी के कार्य और आचरण पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का विवरण :

10. संपर्क के लिए पता

11. फोन नं. (कार्यालय) :
(आवास)
(मोबाइल)

पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय हेतु विचार किए गए अधिकारी के विगत पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की एसीआर ग्रेडिंग।

अधिकारी का नाम ____________________